संख्या-1515 /77-6-18-5(एम)/17

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1066
8-5-18

सेवा में,

1-समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 01 मई, 2018

विषय- "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017" के अन्तर्गत देय छूट हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94- स्टा.नि. -2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रक्रिया/दिशा-निर्देश।

महोदय,

वर्तमान में "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017" निर्गत की गई है जिसके प्रस्तर 3.2.3 सपठित प्रस्तर 3.2.3.4 में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्को/एस्टेटों/एग्रो पार्को के विकास तथा बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्को के लिए विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद पर विकासकर्ता को 100 प्रतिशत छूट एवं इनमें स्थापित किए जाने वाली इकाइयों के प्रत्येक प्रथम खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2- प्रस्तर 5.1 में पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद को छोड़ कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद में 50 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

3- इसके अतिरिक्त प्रस्तर 12.3 सपठित प्रस्तर 12.3.1 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/ दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त छूट प्रदान की गयी है जिसकी अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत है।

4- उपरोक्त स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि.-2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 निर्गत की गयी है।

5- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि. -2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 के प्रस्तर-2 में यह व्यवस्था की गयी है कि इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी अनुमन्य होगी यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महा प्रबन्धक,

08-05-18

Ms S. Kaur
Photocopy provided
AMF (MKG)

जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखित पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा हैं।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि.-2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 में वर्णित किसी प्रयोजन हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई भूमि क्रय करती है अथवा पट्टे पर प्राप्त करती है तो विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन पर लागू स्टाम्प शुल्क से छूट का लाभ लेने हेतु निम्नांकित दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकती है:-

(i)- अनुमन्य प्रयोजन हेतु विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर नियमानुसार देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान करके विलेख का निबंधन करा सकती है। यदि विलेख के निबंधन की तिथि से निर्धारित अवधि में औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास की दशा में इकाई द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर ली गयी हो तो भुगतान किये गये स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति **(Reimbursement)** हेतु सम्बंधित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रयोजन की पूर्ति का भौतिक सत्यापन कर अपनी संस्तुति सहित वांछित धनराशि हेतु मांग पत्र निदेशक उद्योग को प्रेषित करेंगे। निदेशक उद्योग समेकित मांग शासन के औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित करेंगे। औद्योगिक विकास विभाग परीक्षणोंपरान्त बजट के माध्यम से वांछित धनराशि निदेशक उद्योग को आवंटित करेंगे। निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित विकासकर्ता / इकाईयों द्वारा भुगतान की गई स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता /इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा।

(ii)- विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2018 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करते हुए विलेख का निबंधन करा सकती है। इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(क) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि.-2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी या संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ख) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि.-2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि विकासकर्ता/इकाई द्वारा भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ग) छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता/इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक "क") पर प्रमाण पत्र सम्बंधित जनपद के ज़िला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) विकासकर्ता/इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध (संलग्नक- "ख") किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने की वचनबद्धता होगी और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा अपने पक्ष में भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त का अनिवार्य रूप से उल्लेख होगा।

(च) विकासकर्ता/इकाई विक्रय/पट्टा विलेख, प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के पक्ष में निर्धारित अवधि के लिये स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की Irrevocable बैंक गारंटी भी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेगी। तत्पश्चात् महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा हैं तथा विलेख व बैंक गारंटी 07 कार्य दिवस के अन्दर सम्बन्धित उप निबन्धक, निबंधन को विक्रय/पट्टा विलेख के निबंधन हेतु भेज देंगे।

(छ) औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने पर विकासकर्ता/इकाई द्वारा महाप्रबंधक ज़िला उद्योग केन्द्र के माध्यम से महानिरीक्षक निबन्धन को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अन्दर इकाई का आवेदन पत्र एक प्रमाण पत्र (संलग्नक- "ग") के साथ महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित किया जाएगा। महानिरीक्षक निबंधन द्वारा आवेदन पत्र तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के कार्य दिवस दिन के अंदर बैंक गारण्टी वापस करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(ज) निबंधन के पश्चात महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगें तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ताकि छूट का किसी प्रकार दुरूपयोग न होने पाये।

7- निर्धारित अवधि तथा भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल के मापदण्ड निर्धारित करने के दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे है।

8- उपरोक्त दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाग से लागू होगीं। इस संबंध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत कार्यकारी आदेश/शासनादेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या- 1515(1)/77-6-18-5(एम)/17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
(4) प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी, कानपुर।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
(6) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(7) औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
(8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
(9) समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।
(10) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
(11) औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
(12) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-04/2018/180/94-स्टा.नि.-2-2018-700(253)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 के क्रम में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
(13) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(14) गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संलग्नक-क

"उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017" के अन्तर्गत विकासकर्ता/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1- विकासकर्ता/इकाई का नाम ....

2- विकासकर्ता/इकाई का पता ....

....

....

3- विकासकर्ता/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/ लिमिटेड कम्पनी/ को-आपरेटिव सोसायटी/ स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग) ....

4- पैन नम्बर ....

5- विकासकर्ता/इकाई के स्वामी/प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित)

नाम

पता

आधार संख्या

दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

मोबाईल संख्या

ई-मेल

बेवसाइट

6- उद्यम पंजीकरण का विवरण - संख्या

दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

7- पंजीकृत उत्पाद एवं छमता

....

8- भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन

....

9- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि

....

10- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है

....

11- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो।

....

12- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक ....

....

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि ....

14- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/निजी स्रोत से भी भूमि अथवा शेड क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण

(साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

....

....

15- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि अथवा शेड का विवरण

क्र.सं.	भूमि अथवा शेड का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमि अथवा शेड का कुल मूल्य
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करायें जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0 .... की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

संलग्नक-ख

DRAFT AGREEMENT

(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/=)

This agreement made on this __________ day of __________ in the year ______ at. ________________ between M/s ________________________________ , a firm/a company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/Society Registration Act 1860/ Indian Partnership Act-1860 and having its registered office at ____ (hereinafter called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) through Shri ____ Owner/Directors, authorized by the Board of Directors of the company/society vide Resolution passed in this behalf on _________________________ of the One Part;

And the ____ a statutory body established under the ________________________________ Act and having its head office at ____ , (hereinafter called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorised by the Board of Director) of the Other Part;

WHEREAS :

1. The Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the state government") has framed a scheme to remit stamp duty to the extent shown in column 3 of the schedule specified in the notification no. -----------------------------, dated --------------------- for purpose specified in column 2 , chargeable in respect of the instruments as shown in column 4 of the said schedule for the purpose provided in paragraph 3.2.3.4, 5.1 and 12.3.1 of the Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017, of the State as mentioned in column 2 of the said schedule to setup a new industrial unit or an unit making expansion or diversification thereof.
2. The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.
3. The Allottee has applied for purchase or lease of land or shed for the purpose specified as ____ (to established a new industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of Industrial Park/Estate/Agro Park in the state) as specified in their project report.
4. The total requirement of land or shed for the purpose specified as ____ is _____________________ and has been allotted ______________ acres of land for which exemption of stamp duty of Rs. ____________ required/ applied for.
5. That the Allottee has applied for the stamp duty exemption of Rs.________________________ , under the scheme vide his application dated ________ enclosing project report.

6. That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land or shed for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH :

1- In pursuance of the said Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants :-

A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified purpose mentioned in the industrial policy, fulfills the said purpose within 5 years from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.

B. That the Allottee will provide an irrevocable Bank Guarantee in favour of Inspector General, Stamp & Registration, U.P. for an amount, equal to the amount of exemption from Stamp Duty.

C. That the Allottee will comply with, and faithfully observed all the rules & regulations, relating to the abovesaid scheme, and also all subsequent amendments & additions, as may be inserted by the Order of the State Government.

D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely;

   a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or
   b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of false information, or
   c. Where the industrial units does not commence commercial or fulfills the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within 5 years from the date of Registration of instrument.
   d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpose specified in the project-report.

The Inspector General, Stamp & Registration or State Government shall have the right to encash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

3- It is hereby further agreed & declared that the expenses incurred on execution of these presents shall be paid and borne by the Allottee.

4- All the disputes shall be subject to the Jurisdiction of Court's at ____________ .

5- The Allottee, hereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namely ________________________ has/have set his/their hand(s) to do this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee	Certifying Agency
For M/s ----------------------------	For ------------------------------------
( )	( )
( )	( )
Witness	Common seal of M/s------------------
1-	Affixed in my/ our presence
	( )
	( )
2-	

AFFIXED IN MY/OUR PRESENCE

(Stamp & Signature, with Date of Oath Commr.)

"उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017" के अन्तर्गत विकासकर्ता/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु रखी गयी बैंक गारण्टी को अवमुक्त करने हेतु महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1- विकासकर्ता/इकाई का नाम ....

2- विकासकर्ता/इकाई का पता ....

....

....

3- प्राप्त किये गये भूमि अथवा शेड क्रय/लीज का प्रयोजन

....

4- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की तिथि ....

5- जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित..

6- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण..

7- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि अथवा शेड का विवरण

क्र.सं.	भूमि अथवा शेड का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि अथवा शेड का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है।
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि विकासकर्ता/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक..............को प्रारंभ कर दिया गया है अथवा औद्योगिक पार्कों/एस्टेटों/एग्रो पार्कों के विकास से सम्बन्धित विकासकर्ता/इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि को प्रयोजन की पूर्ति दिनांक ....की जा चुकी है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि अथवा शेड का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त विकासकर्ता/इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विकासकर्ता/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0 .... की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...

स्थान :

1. उप निबंधक, निबंधन.......................

2. महा निरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।